जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

146/15
A3/2

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप सूचना शुल्क (कुल पृष्ट 98)दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से 196.00 रूपये (अखरे एक सौ छियानवे रूपये मात्र) जमा करावें ताकि आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

चूंकि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2015 से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 20.03.2015 का हवाला देते हुए चार बिन्दुओ की सूचना चाही है। लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लेखित राज्य सरकार के कार्मिक विभाग का पत्र दिनांक 20.03.2015 उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है बल्कि कार्मिक विभाग का एक पत्र दिनांक 30.03.2015 का अवश्य ही प्राप्त हुआ है जिसके साथ श्री राधेश्याम गोयल का शिकायती प्रा0 पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वसास 98 पृष्ट की सूचना के लिए 2रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाने के लिए अपीलार्थी को समय अवधि में ही सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 20.03.15 के सन्दर्भ में सूचना चाही है जबकि कार्मिक विभाग का दिनांक 20.03.15 का पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त ही नही हुआ है। इसलिए अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्र0) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में प्राप्त कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 30.03.2015 से संबंधित दस्तावेजात की अपीलार्थी कोई प्रमाणित प्रतिलिपि लेना चाहे वह उसे नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

146/15
A3

अपील सूचना का अधिकार संख्या 146/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र सं0 5061 दिनांक 29.06.15 के द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः-

1- राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग कार्मिक (क-3)/शिका) विभाग कमांक प.2(1)(7) का/क.3/शि./15 दिनांक 20.03.15 जयपुर का पत्र आपके पास पहुंचने की तारीख व आर/आर न0 की सूचना
2- पत्र प्राप्ति से सूचना उपलब्ध करवाने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3- पत्र प्राप्ति से सूचना उपलब्ध करवाने तक जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचनपा व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि
4- उपरोक्त पत्रांक के साथ सलंग्न पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त चार बिन्दुओ की सूचना **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर** द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 7449 दिनांक 02.11.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित शासन का पत्र दिनांक 20.03.2015 उनके कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि कार्मिक (क-3) विभाग का पत्र दिनांक 30.03.15 के सलंग्न श्री राधेश्याम गोयल का शिकायत पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। शासन के पत्र दिनांक 30.03.15 के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में निर्धारित शुल्क 196/-(मात्र एक सौ छियानवें रूपये) जमा करवाने के के लिए पत्र संख्या 4805 दिनांक 23.07.15 लिखा गया है परन्तु आवेदक द्वारा आज तक वांछित निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया गया है

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को पत्र सं0 4805 दिनांक 23.07.2015 द्वारा निम्नानुसार सूचित किया है

कलेक्टर
गंगानगर

PT..